न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—49/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/49)

1. श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री मामचंद
2. जुगराज पुत्र श्री मामचंद
3. राजेश पुत्र श्री मामचंद
4. श्रीमती लीला पुत्री श्री मामचंद
5. शंकरलाल पुत्र श्री जगदीश

सभी जाति जाट, निवासी रामनेर, ढाणी, तहसील व जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र स्व0 श्री रामप्रताप
2. श्रीमती मोमा पत्नी स्व0 श्री प्रभूलाल
3. सुरेन्द्र पुत्र स्व0 श्री प्रभूलाल
4. राजेन्द्र पुत्र स्व0 श्री प्रभूलाल
5. कान्ता पुत्री स्व0 श्री प्रभूलाल
6. श्रीमती उच्छवा देवी पत्नी स्व0 श्री छगनलाल
7. पेम पुत्री स्व0 श्री छगनलाल
8. शिवराज पुत्र स्व0 श्री छगनलाल
9. संजू पुत्री स्व0 श्री छगनलाल
10. सुन्दर देवी पत्नी स्व0 श्री रणजीत
11. सुरज्ञान पुत्री स्व0 श्री रणजीत
12. वंदना चौधरी पुत्री स्व0 श्री रणजीत
13. रेखा देवी पुत्री स्व0 श्री रणजीत
14. मनीष चौधरी पुत्री स्व0 श्री रणजीत नाबालिग जरिए संरक्षक एवं प्राकृतिक सरपरस्त माता श्रीमती सुन्दर देवी पत्नी श्री रणजीत
15. प्रियंका चौधरी पुत्री स्व0 श्री रणजीत
16. रिंकू चौधरी पुत्री स्व0 श्री रणजीत

सभी जाति जाट, निवासी रामनेर ढाणी तहसील व जिला अजमेर।

17. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार अजमेर।
18. हल्का पटवारी पटवार हल्का रामनेर ढाणी तहसील व जिला अजमेर।
19. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा मगवाना जिला अजमेर जरिए शाखा प्रबंधक।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर फॉलोअप कैम्प अरडका विरूद्ध निर्णय दिनांक 3.01.2022 राजस्व वाद संख्या 11/2021

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

उपस्थितः—

1. श्री मदनपुरी गोस्वामी, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री रामसुख चौधरी, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1.
3. श्री रविन्द्र सेठी, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 19.
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 17.
5. रेस्पोडेंटस संख्या 2 से 16 अनुपस्थित.

निर्णय

दिनांकः— 12.12.2022

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर केम्प अरड़का में प्रकरण संख्या 11/2021 में पारित आदेश दिनांक 3.01.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 16 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष विरूद्ध अपीलांट्स एवं शेष रेस्पोडेंट्स प्रस्तुत किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांटस को नोटिस जारी किए गए तथा पत्रावली वास्ते तलबी इंतजार में नियत रही परंतु बिना अपीलांट्स एवं उनके अधिवक्ता को सूचना दिए पत्रावली को दिनांक 31.12.2021 को पुनः फॉलोअप केम्प/प्रशासन गांव के संग अभियान में नियत करने हेतु पत्रावली में पेशी दिनांक 3.1.2022 अंकित की गई तथा प्रकरण को कैम्प अरडका में अपीलाधीन आदेश के माध्यम से स्वीकार कर अपीलांटस के विरूद्ध निर्णय पारित करते हुए रास्ता प्रदान करने का आदेश प्रदान कर दिया। धीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर केम्प अरड़का में प्रकरण संख्या 11/2021 में पारित आदेश दिनांक 3.01.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 19 की बहस सुनी गई।रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 16, 18 बावजूद सूचना के भी उपस्थित नहीं हुए।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौरान बहस अपील में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु की ओर ध्यान नहीं दिया कि लोक अदालत में उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें दोनों पक्षकार सहमत हों एवं कोई राजीनामा किया जा रहा हो इसके बावजूद भी अपीलांटस को सुनवाई का अवसर दिए बगैर अपीलांटस के विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया। उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु की ओर ध्यान नहीं दिया कि उनके द्वारा प्रकरण प्रस्तुती दिनांक 14.7.2021 से प्रकरण के निस्तारण तक पत्रावली वास्ते तलबी एवं जवाब हेतु नियत की हुई थी इसके बावजूद भी प्रकरण को बिना अपीलांटस को सूचित किए एवं रेस्पोडेंट की उपस्थिति के बगैर दिनांक 3.1.2022 को नियत कर एकतरफा निर्णय पारित कर दिया। विपक्षी द्वारा राजस्व अधिकारियों से सांठ गांठ कर एक तरफा में मौका पर्चा दिनांक 8.11.2021 को मुर्तिब करवा लिया था जिसकी अपीलांट्स को कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि अपीलांट्स द्वारा प्रकरण में दिनांक 26.11.2021 को जरिए अधिवक्ता उपस्थिति दर्ज करवाई थी जिस पर पत्रावली वास्ते जवाब हेतु दिनांक 4.1.2022 की तारीख नियत की गई थी उससे पूर्व की प्रकरण को केम्प अरडका में नियत कर सरसरी तौर पर तहसीलदार की एक तरफा मौका रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित कर दिया गया। प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट की आराजी खसरा नम्बर 1917 एवं 1918 में से स्वयं की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1912, 1913, एवं 1919 में पहुंचने हेतु रास्ता चाहा जबकि रेस्पोडेंटस के पास अपनी आराजी पर पहुंचने हेतु पूर्व से ही वैकल्पिक

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

रास्ता मौजूद है जिराको मौका रिपोर्ट में अंकित नहीं किया गया जबकि उक्त वैकल्पिक रास्ता रेस्पोडेंटस की खातेदारी खसरा नम्बर 1912 से लगते हुए आराजी खसरा नम्बर 1911 जो कि मंदिर श्री नृसिंह जी भगवान के नाम दर्ज खातेदारी से होते हुए गैर मुमकिन रास्ता आराजी खसरा नम्बर 1904 जो अजमेर विकास प्राधिकारण अजमेर के नाम दर्ज है से होते हुए रेस्पोडेंटस अपनी आरजी खसरा नम्बर 1913 तक पहुंचते हैं उपरोक्त दोनों रास्तों का उपयोग–उपभोग रेस्पोडेंटस कदीम से करते आ रहे है। बावजूद इसके अपीलांटस को अपना जवाब प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया व अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंटस को लाभ पहुंचाने की नियत से उक्त अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत केवल रास्ता उन्हीं परिस्थितियों में दिया जा सकता है जहां पर प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं हो परंतु रेस्पोडेटस के पास पूर्व से ही वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। जिसका उपयोग कदीम से करते चले आ रहे हैं। उक्त प्रकरण को फॉलोअप केम्प में नियत कर अपीलांट संख्या 5 को यह आश्वासन देते हुए कि केवल पत्रावली केम्प में नियत हुई है इसलिए आपको उपस्थिति बाबत पत्रावली मे हस्ताक्षर करने हैं कहकर अपीलांट से पत्रावली पर हस्ताक्षर करवा लिए उक्त उपस्थिति की आड में अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांटस को जवाब एवं सुनवाई का अवसर दिए प्रकरण को निर्णित कर दिया जो कि न्याय संगत नहीं होकर अपील के माध्यम से काबिल निरस्तनीय है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें व उपखण्ड अधिकारी, अजमेर फॉलोअप कैम्प अरडका द्वारा पारित निर्णय दिनांक 3.01.2022 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01 ने दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि अप्रार्थी के पास स्वयं के खातेदार खेत खसरा नम्बर 1912, 1913, 1919 सहखातेदार काबिज है। कृषि कार्य करने का कार्य करने हेतु विधि पूर्ण आवागमन का रास्ता नहीं है। इस कारण भारी परेशानी व दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। इस कारण अप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 1912, 1913, 1919 में आने जाने हेतु प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 1917 में से रास्ता उपलब्ध कराया जावे। अप्रार्थी जो भी राशि है अदा करने को तैयार है।अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये। अप्रार्थीगण की ओर से श्री मदनपुरी गोस्वामी ने अपना वकालनाता पेश किया था तथा कैम्प कोर्ट बाबत् पक्षकार को जरिये नोटिस द्वारा सूचित किया गया है। नोटिस अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न है, इसके बावजूद भी उपस्थित नहीं हुए। अप्रार्थी संख्या 05 राजेश स्वयं उपस्थित था। अभिभाषक अपीलांट का यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय ने कैम्प कोर्ट की जानकारी नही दी, गलत है।प्रकरण में तहसीलदार अजमेर के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 8.11.2021 में वादग्रस्त आराजी पर आवागमन हेतु लघुत्तम मार्ग होना रिपोर्ट में जाहिर किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. हमनें विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया ।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक/रेस्पो0 द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष स्वंय की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 1912, 1913, 1919 में आवागमन हेतु अनआवेदक/अपीलांटस की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 1917 में से रास्ते का अनुतोष प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 251 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत दिनांक 14.07.2021 को पेश किया । उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया । आदेशिका दिनांक 9.11.2021 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 5 उपस्थित । तत्पश्चात् आगामी पेशी दिनांक 26.11.2021 को प्रतिवादी संख्या 3 से 7 के नोटिस पेश होने का अंकन है। किन्तु उक्त नोटिस प्रतिवादी संख्या 3 से 7 की ओर से श्री मदनपुरी गोस्वामी एड़वोकेट का वकालतनामा है किन्तु उक्त वकालतनामा कब लिया गया उस पर तारीख अंकित नही है। परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट केवल भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का के द्वारा तैयार की गई जिसमें किसी भी पक्षकारान के हस्ताक्षर नही है।परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण को दिनांक 03.01.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान फॉलोअप कैम्प अरडका में रखकर प्रतिवादीगण/अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना प्रकरण को निर्णित कर आवेदक/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 राज0काश्त0अधि0 1955 को स्वीकार कर आक्षेपित आदेश पारित किये है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है । यही नहीं परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा रास्ते बाबत् जो मौका रिपोर्ट परीक्षण न्यायालय को भिजवाई गई है, उक्त मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व समस्त पक्षकारों को नोटिस भेजकर सूचित नहीं किया गया है एव ना ही पक्षकारों की मौजूदगी में उक्त मौका रिपोर्ट तैयार की गई है । ऐसी एकपक्षीय मौका रिपोर्ट एवं अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए बिना पारित निर्णय को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.01.2022 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान की मौजूदगी में तहसीलदार द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट प्राप्त कर, उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को विधिनुसार शीघ्र निर्णित करना सुनिश्चित करें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 12.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर